



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239225
CG-DL-E-29092022-239225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 229]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सं. 27 / 2015–2020

विषय: निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 5.15 में संशोधन-के संबंध में।

फा. सं. 18/79/एएम-21/पी-5.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के पैरा 5.15 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पंक्ति "वर्ष 2022–23 हेतु रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा को दिनांक 30.09.2022 तक बढ़ाया जाता है" को "वर्ष 2022–23 हेतु रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा को दिनांक 31.12.2022 तक बढ़ाया जाता है" में प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 5.15 के तहत वार्षिक रिटर्न फाइल करने हेतु अंतिम तिथि को दिनांक 31.12.2022 तक बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 29th September, 2022

No. 27/2015-2020**Subject : Amendment in para 5.15 of Handbook of Procedures 2015-20, related to Export Promotion Capital Goods Scheme - reg.**

F. No. 18/79/AM-21/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in para 5.15 of the Handbook of Procedures (2015-20) with immediate effect

The line "Time limit to file returns for the year 2022-23 is extended till 30.09.2022" is substituted with "**Time limit to file returns for the year 2022-23 is extended till 31.12.2022**".

Effect of this Public Notice: The last date for filing of annual returns under Para 5.15 of HBP 2015-20 has been extended till 31.12.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.